कार्यालय आयुक्त नगरपालिक निगम, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 119/2009x3/3 /जनकार्य/ क्षेत्र क्र.०८ ग्वालियर दिनांक :०९/०७/२०१४

परिशिष्ट (घ)

(म. प्र. भूमि विकास नियम १९८४नियम २७) प्रमाण पत्रसंख्या: २७१

भवन निर्माण की अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु सूचना पत्र दिनांक :०९/०७/२०१४

प्रति,

नाम – त्रृतनन्द बलबेद एज्युकेशन फ़ाउण्डेशन एमिटी

पिता/पति का नाम – डायरेक्टर श्री आशीष सिंह

पता – सर्वेन.३१,३८से४०,४१,४२,४४से४६,४८से५०महारजपुराबांगभिण्डरोडग्वालियर

माननीय महोदय के आदेश दिनांक 7.6.14 द्वारा स्वीकृत !

महोदय,

खसरा क्रमांक *भवन क्रमांक 18/3781 कालोनी/बस्ती सर्वे न.३१,३८से४०,४१,४२,४४से४६,४८से५० महारजपुरा बांग मार्ग भिण्ड रोड ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 8 में भवन निर्माण की स्वीकृत के लिए आवेदन क्रमांक 99 दिनांक 07/02/2009 के सन्दर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि आयुक्त द्वारा निम्नलिखित निर्बन्धों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए स्वीकृति दी गई है :

१. यह स्वीकृति किसी स्वात्वाधिकारी (हकदार) के स्वत्व को प्रभावित नही करेगी ।

२. इस अनुज्ञा की स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम ७ दिवस पूर्व इस आशय की लिखित सूचना आयुक्त को देना अनिवार्य होगा (परिशिष्ट 'ड') उपरोक्त शर्त का पालन न होने पर स्वीकृति स्वत: निरस्त हो जावेगी ।

३. स्वीकृति दिनांक से ३ वर्ष की अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा निर्माण कार्य के पूर्ण होने की सूचना कार्य पूर्ण होने के १५ दिवस के भीतर आयुक्त को देना अनिवार्य होगी ।

४. संलग्न स्वीकृति मानचित्रों के विपरीत निर्माण करने पर स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जावेगी । तथा आयुक्त द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

५. आयुक्त की अनुज्ञा में वर्णित कार्य की पूर्णता के सम्बन्ध में परिशिष्ट 'छ' में लिखित सूचना देनी होगी सूचना प्राप्ति के ७ दिवस के अन्दर आयुक्त द्वारा स्थल परीक्षण कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अन्य आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे । कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये । बिना निर्मित भवन का उपयोग किया जाना अवैधानिक होगा ।

६. प्लिंथ लेबल (कुर्सी स्तर) तक निर्माण कार्य हो जाने पर आयुक्त कार्यालय में निरीक्षण हेतु लिखित सूचना देनी होगी (परिशिष्ट 'च' सूचना न देने पर स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जावेगी तथा निर्माण अवैध माना जाकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जावेगा ।

७. उस सम्पत्ति के जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा जारी की गई है निर्माण के समय सहज दृश्य स्थान पर भवन के लिए अनुज्ञा की प्रति लगाना अनिवार्य है एवं स्वीकृति मानचित्रों तथा अभिलेखों की एक प्रति स्थल पर रखना होगी ।

८. बेसमेन्ट की स्वीकृति न होने पर निर्माण के समय ग्राउण्ड फ्लोर की फ्लोरिंग आर. सी. सी. की बनाना अवैध होगी ।

९. भवन में वर्षा का पानी की हारवेस्टिंग हेतु व्यवस्था करनी होगी ।

१०. म. प्र. शासन के निर्देशानुसार भवन के खुले भाग में पर्याप्त संख्या में वृक्ष लगाना होंगे ।

११. भवन बनाने की सामग्री सार्वजनिक स्थान/सड़क से २४ घण्टे के अन्दर हटाक़र पत्र में उल्लेखित स्थान पर डालना होगा। यदि मलवा मसाला को समयावधि के भीतर नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा स्वयं हटवाया जाकर उसका व्यय सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल किया जावेगा ।

१२. दीगरो के सुखाधिकार सुरक्षित रखते हुये तथा भूमि भवन स्वत्व, न्यायालयीन एवं अन्य समस्त विवाद निगम हित में सुरक्षित रखते हुये स्वीकृति ।

१३. एम ओ एस में किसी भी प्रकार का निर्माण में मान्य नहीं होगा !

१४. प्रकरण में यदि कोई निगम/ शासकीय राशि शेष पायी जाती है तो वह आवश्यक रुप से देय होगी !

१५. निर्माणधीन भवन मे कार्यरत श्रमिको के लिये शौच एवं सेनीटेशन व्यवस्था कर अवगत कराना अनिवार्य होगा।

16. भारतसरकाररक्षामंत्रालयद्वाराजारीअनापत्तिदिनांक०४.०३.०१४ कीसमस्तशर्तोकापालनकरनाहोगातथानिर्माणसेपूर्वभवननिर्माण अनुमतिमानचित्रोकाअनुमोदनरक्षामंत्रालयसेकराना होगा।

१७. न.नि.कचराप्रबन्धनकेसाथसमन्वयकर उपलब्धवेस्टमटेरियलकानिस्तारणकरनाहोगा। तथामान.न्यायालयकेनिर्णयोकापालन करना होगा।

१८. भवननिर्माणकार्यसेपूर्वअन्य विभागो/नियमोकेअन्तर्गकोईअनुमति/अनुज्ञाप्राप्तकरनाअनिवार्यहोतोसंस्थाकोलेनाहोगा।

सिटी प्लानर महोदय के आदेश/अनुशंसा दिनांक 7.6.14 के अनुसार ।

ई.ई. (भवन) के आदेश/अनुशंसा दिनांक 7.6.14 के अनुसार

भवन अधिकारी नगर निगम ग्वालियर

संलग्न : (१) स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति (7 शीट) (२) परिशिष्ट 'ड' 'च' 'छ'

उपयंत्री श्री अजय शाक्यवार की टीप के आधार पर स्वीकृत !

'नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट IV फायर ... की अनुशंसा 7.10.2 (1)

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ग्वालियर की अनुज्ञा क्रमांक 566/3591 दिनांक 14.7.14